

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सख्या-3 / विविध-01-55 / 2025- 63(3) / स्वा०, पटना, दिनांक : 20/01/20

बिहार स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के निम्न चिकित्सा पदाधिकारियों को NEET PG-2025 के काउंसलिंग/नामांकन हेतु अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि पूर्व में चिकित्सको के द्वारा NEET PG अध्ययन हेतु विगत वर्षों में विभागीय अनुमति के पश्चात अध्ययनरत नहीं रहे हो.-

क्र० सं०	चिकित्सक का नाम/पदनाम/पदस्थापन स्थल	प्रथम नियुक्ति अधिसूचना एवं दिनांक	जन्म तिथि
1	2	3	4
1	डा० उदय कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, खजुरिया केसरिया, पूर्वीचम्पारण	1190(2) दिनांक 02.09.2021	15.01.86
2	डा० मृत्युंजय कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, बाराशकर, पताही, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी	1190(2) दिनांक 02.09.2021	16.01.91
3	डा० गौरव कश्यप, चिकित्सा पदाधिकारी, अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, कृष्णागढ़, बडहारा, भोजपुर	1017(2) दिनांक 11.09.2020	26.09.89
4	डा० अनिल कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, रायपुर, नानपुर, सीतामढी	1190(2) दिनांक 02.09.2021	15.02.88
5	डा० पकज कुमार त्रिपाठी, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमडलीय अस्पताल, डिहरी, रोहतास	1190(2) दिनांक 02.09.2021	15.02.84
6	डा० हर्षवर्धन, चिकित्सा पदाधिकारी, एस०एन०सी०यू०, सदर अस्पताल, सुपौल	1017(2) दिनांक 11.09.2020	29.12.85
7	डा० अर्चना कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, बहादुरपुर, अलौली, खगडिया, प्रतिनियुक्त सदर अस्पताल, खगडिया	1543(2) दिनांक 18.11.2021	03.12.90
8	डा० रूबी कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा०स्वा० केन्द्र, रानीगंज, अररिया	1017(2) दिनांक 11.09.2020	23.12.83
9	डा० राहुल रजन, चिकित्सा पदाधिकारी, अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, धराउत, मखदुमपुर, जहानाबाद	1017(2) दिनांक 11.09.2020	15.05.90

02. राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में नामांकन प्राप्त करनेवाले चिकित्सा पदाधिकारियों पर विभागीय संकल्प सं० 450(1) दिनांक 15.04.2017 एवं विभागीय अधिसूचना सं० 1092(17) दिनांक 04.10.2025 के सभी शर्तें लागू होंगी ।

03. उक्त चिकित्सा पदाधिकारियों को अनुमति मात्र पी०जी० पाठ्यक्रम हेतु प्रदान की जा रही है ।

04. उक्त चिकित्सक अध्ययन/प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के पूर्व अपने-अपने नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत विरमित होना सुनिश्चित करेंगे ।

05. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

ह०/-
(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापाक

63(3)

/स्वा0, पटना, दिनांक: 20/01/26

प्रतिलिपि. महालेखाकार (ले0 एव ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग बिहार, पटना/संबंधित प्राचार्य/संबंधित अधीक्षक/संबंधित निदेशक/संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, 2, 8, 9 एव 17/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: विभागीय पी0एम0यू0 लीड/डाटा एनॉलिस्ट को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

W/Ank 16/1/26
सरकार के उप सचिव